



एग्री मैगज़ीन

(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 04 (अप्रैल, 2026)

www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एन.: 3048-8656

सिंचाई में जल मूल्य निर्धारण का अर्थशास्त्र

डॉ. हरकेश कुमार बलाई¹ एवं *दिविशा²

¹असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, चाकसू, जयपुर, राजस्थान, भारत

²बी.एससी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, चाकसू, जयपुर, राजस्थान, भारत

*संवादी लेखक का ईमेल पता: divisha001k@gmail.com

जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य और सीमित संसाधन है, जिसका कृषि क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सीधे खाद्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। परंतु बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित उपयोग जल संकट को जन्म दे रहा है। ऐसे में जल का उचित मूल्य निर्धारण आवश्यक हो जाता है, ताकि इसका उपयोग संतुलित, न्यायसंगत और टिकाऊ ढंग से किया जा सके।

जल मूल्य निर्धारण का अर्थ

सिंचाई में जल मूल्य निर्धारण का अर्थ है कि किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल के बदले एक निश्चित शुल्क लिया जाए। यह शुल्क जल की आपूर्ति, वितरण, रखरखाव तथा प्रबंधन की लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

जल मूल्य निर्धारण के उद्देश्य

- जल के अनावश्यक उपयोग को रोकना
- सिंचाई परियोजनाओं की लागत की पूर्ति करना
- सभी किसानों को समान रूप से जल उपलब्ध कराना
- जल संसाधनों का संरक्षण करना
- कृषि में आर्थिक दक्षता को बढ़ाना

जल मूल्य निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत

- सीमांत लागत सिद्धांत – जल की अंतिम इकाई की लागत के आधार पर शुल्क निर्धारित करना।
- औसत लागत सिद्धांत – कुल खर्च को सभी उपयोगकर्ताओं में समान रूप से बांटना।
- सामाजिक कल्याण सिद्धांत – किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण।
- भुगतान क्षमता सिद्धांत – किसान जितना भुगतान कर सके, उसी अनुसार शुल्क निर्धारित करना।

जल मूल्य निर्धारण के प्रकार

- क्षेत्र आधारित शुल्क – भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
- फसल आधारित शुल्क – विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की जाती हैं।
- मात्रा आधारित शुल्क – उपयोग किए गए जल की मात्रा के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
- समय आधारित शुल्क – जल उपयोग के समय के आधार पर शुल्क तय किया जाता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व

जल का मूल्य बढ़ने से उसका अनावश्यक उपयोग कम होता है। किसान जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। सरकार को सिंचाई व्यवस्था के रखरखाव के लिए धन प्राप्त होता है।

जल का उपयोग अधिक उत्पादन देने वाली फसलों में किया जाता है।

भारत में स्थिति

भारत में जल मूल्य निर्धारण अभी भी बहुत कमजोर है। अधिकांश स्थानों पर जल शुल्क बहुत कम है या वसूली ठीक से नहीं हो पाती। इसके कारण जल का अत्यधिक उपयोग होता है और भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। साथ ही, सिंचाई परियोजनाओं का रखरखाव भी प्रभावित होता है।

मुख्य समस्याएँ

किसानों की आर्थिक कमजोरी

राजनीतिक हस्तक्षेप

जल की मात्रा मापने में कठिनाई

जागरूकता की कमी

सामाजिक असमानता

सुधार के उपाय

जल की मात्रा के आधार पर शुल्क प्रणाली को बढ़ावा देना

सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे टपक और फुहार प्रणाली को अपनाना

जल उपयोगकर्ता समूहों को मजबूत बनाना

आधुनिक तकनीकों द्वारा जल मापन प्रणाली विकसित करना

किसानों में जागरूकता बढ़ाना

किसानों की भूमिका

किसानों को जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा जल संरक्षण की आधुनिक विधियों को अपनाना चाहिए। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

महत्त्व

जल मूल्य निर्धारण से जल का संरक्षण होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तथा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होता है।

निष्कर्ष

सिंचाई में जल मूल्य निर्धारण एक आवश्यक कदम है, जो जल संसाधनों के सही उपयोग और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह जल संकट को कम करने के साथ-साथ कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों को सुदृढ़ बना सकता है।

अंत में, जल का सही मूल्य निर्धारण ही उसके संतुलित और सुरक्षित उपयोग की कुंजी है।